

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -2019/SMD/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest


शनिवार, 12 अक्टूबर 2019



जे.डी.ए. से सील मुक्त करवाकर, भूखंड संख्या 8, राठौड़
नगर, वैशाली नगर पर खुला रेस्टोरेंट
बिरयानी बाय किलो

प्रकरण:-1

भाग:-1



भूखंड संख्या 8, राठौड़ नगर, वैशाली नगर पर चल रहा बिरयानी बाय किलो नामक रेस्टोरेंट

32

भूसं-8 राठौड नगर , वैशाली
नगर ,जयपुर।

32, 33, 34(क)

सील मुक्त किया गया

प्रवर्तन ज़ोन-7 द्वारा दी गयी सूचना के
अनुसार भूखंड संख्या 8, राठौड
नगर, वैशालीनगर को सील मुक्त किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के अन्तर्गत जारी प्रकाशित प्रती

प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन ज़ोन-7
ज. वि. प्रा., 07

जवाब मांगते सवाल?

1. जे.डी.ए. द्वारा सील क्यों खोली गयी?
2. क्या भूखंड मालिक द्वारा विधिक रूप से इस भूखंड का व्यवसायिक गतिविधियां हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
3. या भूखंड मालिक द्वारा गलत शपथ पत्र देकर सील मुक्त करवाया गया है?
4. क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. से व्यावसायिक उपयोग हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
5. क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
6. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
7. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?

जिम्मेदार अधिकारी!!

जे.डी.ए. आयुक्त(सील मुक्त करने का आदेश प्रदान करने हेतु जिम्मेदार)

जे.डी.ए. पुलिस अधीक्षक(सील मुक्त करने की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार)

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन(सील मुक्त करने की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार)

प्रवर्तन अधिकारी(सील मुक्त करने की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार)